

विहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-निविदा-70/2017- 1661 (मौ०)

148
/पटना, दिनांक- 31-12-18

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

समी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल,।
समी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल,।
समी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग,।

विषय:-विभागीय निविदाओं के सम्बन्ध में।

महाशय,

विभाग के अन्तर्गत श्रेणी-01, श्रेणी-02 व श्रेणी-03 में संवेदकों को निबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है। 2.00 करोड़ रुपये तक के कार्यों की निविदा के लिए संवेदकों को लघु जल संसाधन विभाग में निबंधित होना अनिवार्य है। 2.00 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की निविदा में किसी भी सरकारी अथवा लोक उपक्रम में निबंधित संवेदक भाग ले सकते हैं, लेकिन कार्य आवंटन निर्गत होने के पश्चात् उन्हें भी लघु जल संसाधन विभाग में निबंधित होना होगा। यह व्यवस्था 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

निदेशानुसार सूचित करना है कि 01 जनवरी, 2019 से निविदा आमंत्रण सूचना में इस आशय की शर्त को जोड़ दिया जाय।

विश्वासभाजन,
27/12
31/12/18
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।